FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलियां**

सरकार **बनाम** जीतमल s/o भूरा रैगर

किस्म मुकदमा 177 नम्बर 5/21 सन ~~2020~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.3.2021	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 9/3/2021 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
9/3/21	पत्रावली पेश हुई। पेशकार सरकार उप./ प्रतिवादीगणों की का. तामील प्राप्त हुई/ जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते गौर तलबी दि. 16.3.21 को पेश हो।	
16/3/2021	पत्रावली पेश हुई अप्रार्थीगण को तामील हो चुकी है आवाज दिलाने पर भी उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु अपेक्षित नहीं है। पत्रावली वास्ते आदेश दि 17/3/21 को पेश हो।	
17/3/21	पत्रावली पेश हुई पेशकार सरकार उपस्थित है निर्णय पृथक से लिखा जाकर जारी किया पत्रावली फैसल शुमार हो।	

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री उत्साह चौधरी (IAS) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

वादपत्र संख्या 5/2021

दायर तारीख 01.03.2021

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........वादी

बनाम्

1. जीतमल पिता भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियाँ।
2. सुन्दरलाल पिता भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियां।
3. भोली पिता भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियाँ।
4. सुशीला पिता भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियाँ।
5. रूपी पत्नि स्व. भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियाँ।
6. जगदीश पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियाँ।
7. कस्तूर चन्द पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियाँ।
8. फुलचन्द पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियाँ।
9. भागचन्द पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियाँ।
10. लोकेश पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियाँ।
11. मोहनी पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियाँ।
12. अमरी पत्नि स्व. कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियाँ।
13. मनोज पिता गोपाल जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियाँ।
14. विमला पिता गोपाल जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियाँ।
15. सन्तोष पत्नी स्व. गोपाल जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा, तहसील बिजौलियाँ।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– पैरोकार तहसीलदार।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 17 /03/2021

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सदाराम जी का खेड़ा पटवार मण्डल गणेशपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 302 रकबा 2.15 बीघा किस्म बारानी तृतीय प्रतिवादीगणों के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी संख्या 302 रकबा 2.15 बीघा भूमि में खातेदारों की मौके पर काश्त नही हैं। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि कृर्षि कार्य हेतु उपयोग नहीं ली जाकर अवैध खनन कार्य किया गया। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर आराजी नम्बर पर प्रतिवादीगणों द्वारा भूमि पर 50 गुणा 34 गुणा 20 फिट मिट्टी कटाई व 50 गुणा 34 गुणा 02 फिट पत्थर कटाई रकबा 0.02 बीघा भूमि पर अवैध खनन किया हैं। अतः प्रतिवादीगणों ग्राम सदाराम जी का खेड़ा पटवार मण्डल गणेशपुरा स्थित आराजी संख्या 302 रकबा 2.15 बीघा भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। बार–बार आवाज लगायी गयी। न तो विपक्षीगण और न ही विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुआ।

विपक्षीगण वावजूद इतिल्ला के गैर हाजिर रहने से दिनांक 16.03.2021 को विपक्षीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी नये खाता संख्या 18 ग्राम सदाराम जी का खेड़ा प0म0 गणेशपुरा सम्वत् 2072 से 2075 एवं नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की हैं एवं मौका पर्चा दिनांक 26.02.2021 प्रस्तुत किया हैं जिसमें जिसके अनुसार प्रतिवादीगणों द्वारा भूमि पर 50 गुणा 34 गुणा 20 फिट मिट्टी कटाई व 50 गुणा 34 गुणा 02 फिट पत्थर कटाई का कार्य पाया गया हैं।

प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाता हैं कि ग्राम सदाराम जी का खेड़ा पटवार मण्डल गणेशपुरा तहसील बिजौलियां स्थित आराजी संख्या 302 रकबा 2.15 बीघा किस्म बारानी तृतीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 17/**03/2021** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्साह चौधरी, IAS)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ